–: आदेश :–

बालचन्द आ0 मांगीलाल धोबी निवासी रायपुर थाना रायपुर को दिनांक 22.03.2018 से 7 दिन (सात दिवस) के लिए थाना रायपुर व जिला झालावाड की सीमाओ से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अवधि मे वह पुलिस थाना सुकेत जिला कोटा के थानाधिकारी को प्रति दिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियो की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम मे लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गॉजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नही होगा। शान्ति बनाये रखने व सदाचारी बने रहने हेतु 10,000/–रू0 अक्षरे (दसहजार रूपये) के स्वंय का मुचलका प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय मे टंकित कराया जाकर, मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
अति0जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़

अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज0)

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

निर्णय बईजलास भवानी सिंह पालावत, आर0ए0एस0, अति0जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड

प्रकरण सख्या 45/17 दायरा– 11.09.17

राजस्थान सरकार जर्ये पुलिस अधीक्षक झालावाड़

सायल

बनाम

बालचन्द आ0 मांगीलाल धोबी निवासी रायपुर थाना रायपुर

गैर सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :– श्री रमेशचन्द कश्यप वकील गैर

–: आदेश :– दिनांक :–21.03.2018

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक झालावाड की और से बालचन्द आ0 मांगीलाल धोबी निवासी रायपुर थाना रायपुर के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 5470 दिनांक 18.08.17 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि गैर सायल के विरूद्व थाना रायपुर में निम्न मुकदमें दर्ज है :–

क0स0	इस्तगासा पेश करने की दिनांक	धारा	प्रकरणों की स्थिति
1	19/06	13 आरपीजीओ	100 जुर्माना
2	48/07	13 आरपीजीओ	100 जुर्माना
3	65/07	13 आरपीजीओ	100 जुर्माना

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

जिनमें न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त रहता है। गेर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहस, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरूद्व गवाही देने से डरते है इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वचछन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरूद्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जर्ये नोटिस तलब किया गया । गैर सायल की ओर से वकील श्री रमेशचन्द कश्यप द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि गैर सायल अब शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है, इसलिये इस्तगासा खारिज फरमाकर गैर सायल को बरी किया जावे।

मैंने गैर सायल की मौखिक बहस का मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों के आधार पर राज0गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सन्तुष्ट होकर मै गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)